न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

आदेशिका

प्रकरण संख्या 12/2026 जीसीएमएस नं 2026/53

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड..........प्रार्थी

बनाम

स्व0 श्रीमती समोदरा देवी व अन्य..........

निवासी ग्राम सलारपुर, ग्राम पंचायत हिंगोटिया जिला स0मा0..........अप्रार्थीगण/ऋणी

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	पालना / आदेश का विवरण
06.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सरफैसी प्रार्थना पत्र में ऋणी के विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है ना ही सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है। वकील प्रार्थी को मृतक ऋणी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर उनकी तलवी हेतु नोटिस पेश किये जाने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका हैं किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा ऋणी के विधिक वारिसान के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः प्रार्थी को प्रकरण ऋणी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सम्पूर्ण दस्तावेज सहित पुनः पेश करने की अनुमति के साथ उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (काना राम) जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner